भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या **498***

जिसका उत्तर शुक्रवार, 4 अप्रैल, 2025/14 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाना है।

निम्न गुणवत्ता वाले उर्वरकों की बिक्री

498*. श्री बृजेन्द्र सिहं ओला:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया है कि कंपनियां अक्सर किसानों को नकली या निम्न गुणवत्ता वाले उर्वरक बेचती हैं जिससे उनकी फसलों को नुकसान होता है;
(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान राजस्थान सहित राज्यवार ऐसे कितने मामले सामने आए हैं;
(ग) क्या सरकार ने धोखाधड़ी करने वाली ऐसी कंपनियों के विरुद्‌ध कोई कार्रवाई की है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी कंपनियों के नाम क्या हैं तथा उनके विरुद्‌ध राज्यवार क्या कार्रवाई की गई है;
(ड.) क्या सरकार ने ऐसी घटनाओं से प्रभावित होने वाले किसानों को मुआवजा या कोई अन्य वित्तीय सहायता प्रदान की है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में उन्हें कितनी धनराशि प्रदान की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

'निम्न गुणवत्ता वाले उर्वरकों की बिक्री' के संबंध में श्री बृजेन्द्र सिंह ओला द्वारा पूछे गए दिनांक 04.04.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं.498* के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (च): उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ)-1985 में उर्वरक-वार विस्तृत विनिर्देशन निर्धारित किए गए हैं। कोई भी उर्वरक, जो उक्त विनिर्देशनों को पूरा नहीं करता है, को कृषि प्रयोजन के लिए देश में नहीं बेचा जा सकता है। (एफसीओ) के खंड 19 में उन उर्वरकों की बिक्री अथवा उत्पादन का कड़ाई से निषेध किया गया है जो निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हैं।

नकली/घटिया/अवमानक उर्वरकों की बिक्री के मामले में, राज्य सरकारों को एफसीओ-1985 के अंतर्गत प्रशासनिक कार्रवाई करने और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके अतिरिक्त, ऐसे मामलों पर प्राप्त किसी भी शिकायत को आवश्यक कार्रवाई हेतु राज्य सरकारों को अग्रेषित कर दिया जाता है।

सरकार किसानों को सब्सिडी प्राप्त मूल्यों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए उर्वरक उत्पादक/आयातक कंपनियों को सब्सिडी जारी करती है। मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि राज्यों द्वारा उर्वरकों की गुणवत्ता में किसी भी विसंगति की सूचना दी जाती है तो कंपनी के लंबित दावों से वसूली की जाती हैं।

राजस्थान राज्य सहित राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के कृषि विभागों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सूचित किए गए नकली उर्वरक मामलों की संख्या, सूचित किए गए घटिया/अवमानक उर्वरक मामलों की संख्या और वर्ष 2019-20 से वर्ष 2024-25 तक राज्यों द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

****

अनुलग्नक

यह अनुलग्नक दिनांक 04.04.2025 को दिए जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न सं.498* के उत्तर के भाग (क) से (च) से संबंधित है।

		वित्त वर्ष 2024-25 के लिए समेकित रिपोर्ट		
क्र.सं.	**राज्य**	**नकली उर्वरकों के लिए रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या**	**अवमानक उर्वरकों के लिए रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या**	**की गई कार्रवाई**
1	अंडमान और निकोबार	1	1	एफसीओ-1985 के खंड के अनुसार नमूने विश्लेषण के लिए भेजे गए थे
2	आंध्र प्रदेश	1	364	एफसीओ 1985 के अनुसार 274 मामलों में कार्रवाई की गई और नकली उर्वरक जब्त में एफआईआर दर्ज तथा 6 मीट्रिक टन उर्वरक
3	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
4	असम	शून्य	शून्य	शून्य
5	बिहार	शून्य	34	8 एफआईआर दर्ज और 7 प्राधिकरण पत्र रद्द
6	छत्तीसगढ़	शून्य	152	बिक्री रोक, एफआईआर, कारण बताओ नोटिस और बिक्री पर प्रतिबंध और बिक्री रोकने का नोटिस जारी
7	दादरा और नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य
8	दमन और दीव	शून्य	शून्य	शून्य
9	दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य
10	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य
11	गुजरात	2	2	2 एफआईआर दर्ज
12	हरियाणा	3	226	9 FIR
13	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
14	जम्मू और कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य
15	झारखंड	शून्य	शून्य	शून्य
16	कर्नाटक	0	2	शून्य
17	केरल	शून्य	180	
18	मध्य प्रदेश	5	849	नकली उर्वरकों के विरुद्ध 05 एफआईआर दर्ज। 48 लाइसेंस निलंबित 10 लाइसेंस रद्द और अमानक उर्वरक मामलों के खिलाफ 05 एफआईआर दर्ज।
19	महाराष्ट्र	9	1436	493 लाइसेंस रद्द और 391 निलंबित
20	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य
21	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य

22	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य
23	ओडिशा	शून्य	शून्य	शून्य
24	पुदुचेरी	शून्य	शून्य	शून्य
25	पंजाब	2	164	एलओए निलंबित
26	राजस्थान	7	392	7 एफआईआर
27	तमिलनाडु	4	536	4 (मामला दायर)
28	तेलंगाना	शून्य	शून्य	शून्य
29	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य
30	उत्तराखंड	शून्य	3	चेतावनी
31	उत्तर प्रदेश	10	411	10 एफआईआर और 12.58 मीट्रिक टन उर्वरक जब्त
32	पश्चिम बंगाल	राज्य द्वारा आंकड़े प्रदान नहीं किए गए		

		वित्त वर्ष 2023-24 के लिए समेकित रिपोर्ट		
क्र.सं.	राज्य	नकली उर्वरकों के लिए रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या	अवमानक उर्वरकों के लिए रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या	की गई कार्रवाई
1	अंडमान और निकोबार	शून्य	शून्य	शून्य
2	आंध्र प्रदेश	0	373	292 मामलों पर एफसीओ, 1985 के अनुसार कार्रवाई की गई
3	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
4	असम	शून्य	शून्य	शून्य
5	बिहार	शून्य	27	6 एफआईआर दर्ज और 2 प्राधिकरण पत्र रद्द
6	छत्तीसगढ़	शून्यL	145	बिक्री रोक, एफआईआर बिक्री पर प्रतिबंध और बिक्री रोकने का नोटिस जारी
7	दादरा और नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य
8	दमन और दीव	शून्य	शून्य	शून्य
9	दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य
10	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य
11	गुजरात	2	2	2 एफआईआर दर्ज
12	हरियाणा	3	72	7 एफआईआर
13	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
14	जम्मू और कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य
15	झारखंड	शून्य	शून्य	शून्य
16	कर्नाटक	1	33	1.63 मीट्रिक टन उर्वरक जब्त और 1 एफआईआर
17	केरल	शून्य	265	
18	मध्य प्रदेश	0	1372	नकली उर्वरकों के मामले में 03 एफआईआर दर्ज। 149 लाइसेंस निलंबित। अवमानक उर्वरकों के मामले में 18 लाइसेंस रद्द।
19	महाराष्ट्र	3	2111	76 लाइसेंस रद्द और 469 निलंबित
20	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य
21	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य
22	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य
23	ओडिशा	शून्य	शून्य	शून्य

24	पुदुचेरी	शून्य	शून्य	शून्य
25	पंजाब	3	183	एलओए निलंबित
26	राजस्थान	शून्य	402	शून्य
27	तमिलनाडु	0	513	1 (मामला दर्ज)
28	तेलंगाना	शून्य	शून्य	शून्य
29	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य
30	उत्तराखंड	शून्य	शून्य	शून्य
31	उत्तर प्रदेश	5	606	5 एफआईआर और 41.95 मीट्रिक टन उर्वरक जब्त का आकार
32	पश्चिम बंगाल	शून्य	607	एफसीओ 1985 के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की गई

		वित्त वर्ष 2022-23 के लिए समेकित रिपोर्ट		
क्र.सं.	**राज्य**	**नकली उर्वरकों के लिए रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या**	**अवमानक उर्वरकों के लिए रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या**	**की गई कार्रवाई**
1	अंडमान और निकोबार	शून्य	शून्य	शून्य
2	आंध्र प्रदेश	0	432	एफसीओ, 1985 के अनुसार 347 मामलों पर कार्रवाई की गई
3	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
4	असम	शून्य	शून्य	शून्य
5	बिहार	शून्य	78	2 प्राधिकरण पत्र रद्द
6	छत्तीसगढ़	शून्य	93	बिक्री रोक, बिक्री रोकने का नोटिस और बिक्री और कारण बताओ नोटिस जारी बिक्री पर प्रतिबंध
7	दादरा और नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य
8	दमन और दीव	शून्य	शून्य	शून्य
9	दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य
10	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य
11	गुजरात	शून्य	शून्य	शून्य
12	हरियाणा	1	146	20 FIR
13	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
14	जम्मू और कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य
15	झारखंड	शून्य	शून्य	शून्य
16	कर्नाटक	10	116	71.35 मीट्रिक टन उर्वरक जब्त और 10 एफआईआर
17	केरल	शून्य	367	2 लाइसेंस निलंबित
18	मध्य प्रदेश	3	1690	नकली उर्वरकों के मामलों के विरुद्ध 03 एफआईआर दर्ज। 180 लाइसेंस निलंबित 20 लाइसेंस रद्द और अमानक उर्वरक मामलों के खिलाफ 02 एफआईआर दर्ज।
19	महाराष्ट्र	4	2326	46 लाइसेंस रद्द और 522 निलंबित
20	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य
21	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य
22	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य
23	ओडिशा	शून्य	शून्य	शून्य

24	पुदुचेरी	शून्य	शून्य	शून्य
25	पंजाब	4	78	एलओए निलंबित
26	राजस्थान	15	362	15 एफआईआर
27	तमिलनाडु	0	629	1 (मामला दायर)
28	तेलंगाना	शून्य	शून्य	शून्य
29	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य
30	उत्तराखंड	शून्य	6	चेतावनी, 1 रद्द
31	उत्तर प्रदेश	11	699	11 एफआईआर और 52.15 मीट्रिक टन उर्वरक जब्त
32	पश्चिम बंगाल	शून्य	747	एफसीओ 1985 के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की गई

		वित्त वर्ष 2021-22 के लिए समेकित रिपोर्ट		
क्र.सं.	राज्य	नकली उर्वरकों के लिए रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या	अवमानक उर्वरकों के लिए रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या	की गई कार्रवाई
1	अंडमान और निकोबार	शून्य	शून्य	शून्य
2	आंध्र प्रदेश	0	374	एफसीओ, 1985 के अनुसार 313 मामलों पर कार्रवाई की गई
3	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
4	असम	शून्य	शून्य	शून्य
5	बिहार	शून्य	115	10 एफआईआर दर्ज और 10 प्राधिकरण पत्र रद्द
6	छत्तीसगढ़	शून्यL	124	बिक्री रोक और बिक्री रोकने का नोटिस जारी किया
7	दादरा और नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य
8	दमन और दीव	शून्य	शून्य	शून्य
9	दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य
10	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य
11	गुजरात	शून्य	शून्य	शून्य
12	हरियाणा	1	160	9 एफआईआर
13	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
14	जम्मू और कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य
15	झारखंड	शून्य	शून्य	शून्य
16	कर्नाटक	2	79	1.5 मीट्रिक टन उर्वरक जब्त और 2 एफआईआर
17	केरल	शून्य	180	1 लाइसेंस निलंबित
18	मध्य प्रदेश	5	1624	नकली उर्वरकों के मामलों के विरुद्ध 03 एफआईआर दर्ज। 273 लाइसेंस निलंबित 21 लाइसेंस रद्द और अमानक उर्वरकों के मामलों के खिलाफ 04 एफआईआर दर्ज।
19	महाराष्ट्र	5	2293	11 लाइसेंस रद्द और 533 निलंबित
20	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य
21	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य
22	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य
23	ओडिशा	शून्य	शून्य	शून्य
24	पुदुचेरी	शून्य	शून्य	शून्य
25	पंजाब	3	76	एलओए निलंबित

26	राजस्थान	6	577	6 FIR
27	तमिलनाडु	2	462	शून्य
28	तेलंगाना	शून्य	शून्य	शून्य
29	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य
30	उत्तराखंड	शून्य	5	चेतावनी
31	उत्तर प्रदेश	5	844	5 एफआईआर और 593.12 मीट्रिक टन उर्वरक जब्त
32	पश्चिम बंगाल	शून्य	716	एफसीओ 1985 के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की गई

		वित्त वर्ष 2020-21 के लिए समेकित रिपोर्ट		
क्र.सं.	राज्य	नकली उर्वरकों के लिए रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या	घटिया उर्वरकों के लिए रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या	की गई कार्रवाई
1	अंडमान और निकोबार	शून्य	शून्य	शून्य
2	आंध्र प्रदेश	0	473	एफसीओ, 1985 के अनुसार 425 मामलों पर कार्रवाई की गई
3	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
4	असम	शून्य	शून्य	शून्य
5	बिहार	शून्य	35	3 प्राधिकरण पत्र रद्द
6	छत्तीसगढ़	शून्य	72	बिक्री रोक, बिक्री रोकने का नोटिस और बिक्री और कारण बताओ नोटिस जारी बिक्री पर प्रतिबंध
7	दादरा और नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य
8	दमन और दीव	शून्य	शून्य	शून्य
9	दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य
10	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य
11	गुजरात	शून्य	शून्य	शून्य
12	हरियाणा	1	97	7 FIR
13	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
14	जम्मू और कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य
15	झारखंड	शून्य	शून्य	शून्य
16	कर्नाटक	1	60	3.25 मीट्रिक टन उर्वरक जब्त और 1 एफआईआर
17	केरल	शून्य	34	2 लाइसेंस निलंबित, 2 चेतावनी और कारण बताओ नोटिस -28
18	मध्य प्रदेश	3	1677	नकली उर्वरकों के मामलों के विरुद्ध 03 एफआईआर दर्ज की गई। 380 लाइसेंस निलंबित 88 लाइसेंस रद्द और अमानक उर्वरक मामलों के खिलाफ 08 एफआईआर दर्ज की गई.
19	महाराष्ट्र	3	2369	183 लाइसेंस रद्द और 1063 निलंबित
20	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य
21	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य
22	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य
23	ओडिशा	शून्य	शून्य	शून्य
24	पुदुचेरी	शून्य	शून्य	शून्य
25	पंजाब	2	68	एलओए निलंबित

26	राजस्थान	शून्य	645	शून्य
27	तमिलनाडु	2	697	2 (मामला दायर)
28	तेलंगाना	शून्य	शून्य	शून्य
29	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य
30	उत्तराखंड	शून्य	1	चेतावनी
31	उत्तर प्रदेश	3	728	3 एफआईआर और 30.1 मीट्रिक टन उर्वरक जब्त
32	पश्चिम बंगाल	शून्य	499	एफसीओ 1985 के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की गई

		वित्त वर्ष 2019-20 के लिए समेकित रिपोर्ट		
क्र.सं.	राज्य	नकली उर्वरकों के लिए रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या	अवमानक उर्वरकों के लिए रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या	की गई कार्रवाई
1	अंडमान और निकोबार	शून्य	शून्य	शून्य
2	आंध्र प्रदेश	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
3	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
4	असम	शून्य	शून्य	शून्य
5	बिहार	शून्य	75	3 प्राधिकरण पत्र रद्द
6	छत्तीसगढ़	शून्य	139	बिक्री रोक, बिक्री रोकने की सूचना और बिक्री और भंडारण प्रतिबंध
7	दादरा और नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य
8	दमन और दीव	शून्य	शून्य	शून्य
9	दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य
10	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य
11	गुजरात	शून्य	शून्य	शून्य
12	हरियाणा	शून्य	86	शून्य
13	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
14	जम्मू और कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य
15	झारखंड	शून्य	शून्य	शून्य
16	कर्नाटक	शून्य	64	शून्य
17	केरल	शून्य	84	2 लाइसेंस निलंबित और 1 लाइसेंस रद्द, 40 चेतावनी, -14 सुनवाई आयोजित और 27 कारण बताओ नोटिस-
18	मध्य प्रदेश	2	986	नकली उर्वरकों के मामलों के खिलाफ 02 एफआईआर दर्ज की गई। 156 लाइसेंस निलंबित 80 लाइसेंस रद्द किए गए और अमानक उर्वरक मामलों के खिलाफ 19 एफआईआर दर्ज की गई।
19	महाराष्ट्र	2	1944	16 लाइसेंस रद्द और 56 निलंबित
20	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य
21	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य
22	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य

23	ओडिशा	शून्य	शून्य	शून्य
24	पुदुचेरी	शून्य	शून्य	शून्य
25	पंजाब	2	82	एलओए निलंबित
26	राजस्थान	शून्य	138	शून्य
27	तमिलनाडु	0	799	1 (मामला दर्ज)
28	तेलंगाना	शून्य	शून्य	शून्य
29	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य
30	उत्तराखंड	शून्य	2	चेतावनी
31	उत्तर प्रदेश	शून्य	727	शून्य

****